सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 102/2017 अपील (RCMS/2017/00052)
पंजीयन दिनांक – 31.07.2017
निर्णय दिनांक – 21.05.2018

1. ग्राम पंचायत सुलावास जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत सुलावास श्री लोगर पिता कालू मीणा, निवासी आम्बा तलाई, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।

अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, गिर्वा जिला उदयपुर।

– रेस्पोडेन्ट

उपस्थितिः–
1. श्री भीमराज पटेल – वकील अपीलान्ट

अपील अर्न्तगत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा कैम्प सुलावास प्रकरण संख्या 74/2016 दिनांक 19.05.2017

निर्णय

दिनांक 21.05.2018

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अर्न्तगत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा कैम्प सुलावास प्रकरण संख्या 74/2016 दिनांक 19.05.2017 के विरुद्ध पेश की गई है।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम सुलावास, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर में साबिक आराजी नम्बर 28 में से 7 बीघा भूमि तथा साबिक आराजी नम्बर 30 में से 2 बीघा भूमि कुल किता 9 बीघा भूमि आबादी विस्तार हेतु दिनांक 03.08.1971 को जरिये मिसल संख्या 207 बिलानाम काबिल काश्त से आबादी में परिवर्तन दिये गये थे। उक्त आदेश की पालना में पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरकरण 26 खोला जाकर राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी संवत् 2031 में इसका अंकन किया गया। उक्त साबिक आराजी संख्या 28 व 30 में से 9 बीघा भूमि आबादी में परिवर्तन होने के बाद पेमाईश में साबिक आराजी नम्बर 28 के नये नम्बर 212 व साबिक आराजी नम्बर 30 के नये नम्बर 213 बने। अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय समक्ष प्रार्थना पत्र इस

आशय से प्रस्तुत किया कि संवत् 2047 से 2050 तक की जमाबन्दी के बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश आराजी नम्बर 212 व 213 के आबादी शब्द का अंकन हटा कर सिर्फ बिलानाम काबिल काश्त मगरी अंकन कर दिये जाने से इन्द्राज दुरस्ती का आदेश फरमाया जावें। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा कैम्प सुलावास द्वारा आदेश दिनांक 19.05.2017 से प्रार्थना पत्र निरस्त किया। उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा द्वारा आदेश दिनांक 19.05.2017 को पारित कर निष्कर्ष दिया कि उक्त भूमि कभी भी पंचायत की आबादी भूमि नही रही है एंव बिलानाम गैर काबिल काश्त मंगरी है। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेन्ट को जरिये सम्मन सूचित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया। वकील अपीलान्ट उपस्थित। रेस्पोडेंट की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने से दिनांक 14.05.2018 को लिखित बहस पेश करने को मौका दिया गया। लिखित बहस रेस्पोडेंट अप्राप्त। वकील अपीलान्ट की एक तरफा बहस दिनांक 14.05.2018 को सुनी गई।

विद्वान अपील अपीलान्ट ने बहस में बताया कि राजस्व ग्राम सुलावास, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर में साबिक आराजी नम्बर 28 में से 4 बीघा भूमि तथा साबिक आराजी नम्बर 30 में से 2 बीघा भूमि कुल किता 9 बीघा भूमि आबादी विस्तार हेतु तत्कालीन ऑथोरिटी उप जिला कलक्टर, गिर्वा द्वारा दिनांक 03.08.1971 को जरिये मिसल संख्या 207 बिलानाम काबिल काश्त से आबादी में परिवर्तन दिये गये थ। उक्त आदेश की पालना में पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरकरण 26 खोला जाकर राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी संवत् 2031 में इसका अंकन किया गया जो सवत् 2044 तक बदस्तूर जारी रहा। उक्त साबिक आराजी संख्या 28 व 30 में से 9 बीघा भूमि आबादी में परिवर्तन होने के बाद पेमाईश में साबिक आराजी नम्बर 28 के नये नम्बर 213 व साबिक आराजी नम्बर 30 के नये नम्बर 212 किये जाने थे परन्तु पटवारी हल्का की गलती की वजह से साबिक आराजी नम्बर 28 के 212 एवं साबिक आराजी नम्बर 30 के 213 आ.न. का अंकन हो गया। इस सम्बन्ध में पटवारी द्वारा अपनी रिपोर्ट में भी बताया गया है, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मनन नहीं किया गया। संवत् 2044 के बाद बिना किसी सक्षम आदेश के हाल आराजी संख्या 212 व 213 में आबादी शब्द को हटा कर बिलानाम दर्ज कर दिया है जो गलत है क्योंकि भूमि आबादी में परिवर्तित हो चुकी है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध होने से अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को अपास्त किये जाने का अनुरोध किया है।

हमने उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय के पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है

कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में तहसीलदार गिर्वा की रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार, गिर्वा की रिपोर्ट अुनसार जमाबन्दी संवत् 2044 में वादग्रस्त भूमि बिलानाम काबिल काश्त मगरी दर्ज है। जमाबन्द संवत् 2047 से 2050 में भूमि बिलानाम दर्ज थी एवं हाल जमाबन्दी संवत् 2070 से 2073 में भी आराजी संख्या 212 रकबा 0.2750 है. किस्म नाला व आराजी न. 213 रकबा 1.4100 है. किस्म मगरी दर्ज है। वादग्रस्त भूमि कभी भी पंचायत की आबादी में नही रही है। उपरोक्त रिपोर्ट अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वार अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र आदेश दिनांक 19.05.2017 से निरस्त किया जिसमें कोई विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है। जिससे हम अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है। उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा का आदेश दिनांक 19.05.2017 को बहाल रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 21.05.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह देथा)
संभागीय आयुक्त
उदयपुर